

अनुबंध 12.1  
(पैरा 12.23)

## प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान (वृहद शीर्ष 2202, उप वृहद शीर्ष-01)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	आंध्र प्रदेश	170	179	188	198	207	942
2	अरुणाचल प्रदेश	4	4	5	5	6	24
3	असम	31	40	49	59	59	238
4	बिहार	585	699	818	946	970	4018
5	छत्तीसगढ़	136	154	173	194	200	857
6	गोवा	2	2	2	2	3	11
7	गुजरात	72	85	98	113	115	483
8	हरियाणा	40	43	46	49	51	229
9	हिमाचल प्रदेश	20	21	23	24	25	113
10	जम्मू और कश्मीर	80	85	90	95	99	449
11	झारखंड	223	266	311	359	369	1528
12	कर्नाटक	104	119	135	152	157	667
13	केरल	25	27	28	29	31	140
14	मध्य प्रदेश	320	384	452	523	537	2216
15	महाराष्ट्र	131	140	149	159	165	744
16	मणिपुर	3	3	3	3	3	15
17	मेघालय	9	10	10	11	12	52
18	मिजोरम	1	1	1	1	1	5
19	नागालैंड	1	1	1	2	2	7
20	उड़ीसा	170	187	204	223	232	1016
21	पंजाब	36	41	45	50	52	224
22	राजस्थान	287	320	356	394	409	1766
23	सिक्किम	1	1	1	1	1	5
24	तमिलनाडु	111	126	141	158	164	700
25	त्रिपुरा	4	4	5	5	5	23
26	उत्तर प्रदेश	723	871	1027	1192	1227	5040
27	उत्तराखंड	31	35	40	45	46	197
28	पश्चिम बंगाल	355	416	480	548	560	2359
	<b>सभी राज्य</b>	<b>3675</b>	<b>4264</b>	<b>4881</b>	<b>5540</b>	<b>5708</b>	<b>24068</b>

## वनों के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
1	आंध्र प्रदेश	33.58	33.58	67.16	67.16	67.16	268.64
2	अरुणाचल प्रदेश	90.98	90.98	181.96	181.96	181.96	727.84
3	असम	23.08	23.08	46.16	46.16	46.16	184.64
4	बिहार	4.80	4.80	9.60	9.60	9.60	38.40
5	छत्तीसगढ़	51.39	51.39	102.78	102.78	102.78	411.12
6	गोवा	4.61	4.61	9.22	9.22	9.22	36.88
7	गुजरात	10.24	10.24	20.48	20.48	20.48	81.92
8	हरियाणा	1.10	1.10	2.20	2.20	2.20	8.80
9	हिमाचल प्रदेश	12.58	12.58	25.16	25.16	25.16	100.64
10	जम्मू और कश्मीर	16.63	16.63	33.26	33.26	33.26	133.04
11	झारखंड	18.93	18.93	37.86	37.86	37.86	151.44
12	कर्नाटक	27.63	27.63	55.26	55.26	55.26	221.04
13	केरल	16.94	16.94	33.88	33.88	33.88	135.52
14	मध्य प्रदेश	61.29	61.29	122.58	122.58	122.58	490.32
15	महाराष्ट्र	38.70	38.70	77.40	77.40	77.40	309.60
16	मणिपुर	18.79	18.79	37.58	37.58	37.58	150.32
17	मेघालय	21.01	21.01	42.02	42.02	42.02	168.08
18	मिजोरम	21.40	21.40	42.80	42.80	42.80	171.20
19	नागालैंड	17.32	17.32	34.64	34.64	34.64	138.56
20	उड़ीसा	41.37	41.37	82.74	82.74	82.74	330.96
21	पंजाब	1.15	1.15	2.30	2.30	2.30	9.20
22	राजस्थान	11.04	11.04	22.08	22.08	22.08	88.32
23	सिक्किम	5.07	5.07	10.14	10.14	10.14	40.56
24	तमिलनाडु	17.81	17.81	35.62	35.62	35.62	142.48
25	त्रिपुरा	11.94	11.94	23.88	23.88	23.88	95.52
26	उत्तर प्रदेश	10.06	10.06	20.12	20.12	20.12	80.48
27	उत्तराखंड	25.68	25.68	51.36	51.36	51.36	205.44
28	पश्चिम बंगाल	9.88	9.88	19.76	19.76	19.76	79.04
	<b>जोड़</b>	<b>625.00</b>	<b>625.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>5000.00</b>

अनुबंध 12.3  
(पैरा 12.47)वानिकी और वन्य जीव शीर्ष के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय  
के लिए अनुमान (वृहद शीर्ष 2406)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	आंध्र प्रदेश	189.40	204.55	220.92	238.59	257.68
2	अरुणाचल प्रदेश	36.95	39.90	43.10	46.55	50.27
3	असम	152.17	164.35	177.49	191.69	207.03
4	बिहार	45.40	49.03	52.95	57.19	61.76
5	छत्तीसगढ़	345.77	373.43	403.31	435.57	470.42
6	गोवा	8.83	9.54	10.30	11.12	12.01
7	गुजरात	173.65	187.54	202.55	218.75	236.25
8	हरियाणा	61.88	66.83	72.18	77.95	84.19
9	हिमाचल प्रदेश	144.45	156.00	168.48	181.96	196.52
10	जम्मू और कश्मीर	300.15	324.16	350.10	378.10	408.35
11	झारखंड	89.86	97.05	104.81	113.20	122.26
12	कर्नाटक	274.34	296.29	319.99	345.59	373.24
13	केरल	146.06	157.74	170.36	183.99	198.71
14	मध्य प्रदेश	534.51	577.27	623.45	673.32	727.19
15	महाराष्ट्र	523.14	565.00	610.20	659.01	711.73
16	मणिपुर	8.63	9.32	10.07	10.88	11.75
17	मेघालय	33.28	35.95	38.82	41.93	45.28
18	मिजोरम	13.85	14.96	16.16	17.45	18.84
19	नागालैंड	17.68	19.09	20.62	22.27	24.05
20	उड़ीसा	107.80	116.42	125.74	135.80	146.66
21	पंजाब	33.09	35.73	38.59	41.68	45.02
22	राजस्थान	207.40	223.99	241.91	261.26	282.16
23	सिक्किम	13.75	14.85	16.03	17.32	18.70
24	तमिलनाडु	111.30	120.20	129.82	140.20	151.42
25	त्रिपुरा	31.41	33.92	36.63	39.56	42.73
26	उत्तर प्रदेश	228.33	246.59	266.32	287.63	310.64
27	उत्तराखंड	202.51	218.71	236.21	255.11	275.51
28	पश्चिम बंगाल	165.30	178.53	192.81	208.23	224.89
	<b>जोड़</b>	<b>4200.88</b>	<b>4536.95</b>	<b>4899.91</b>	<b>5291.90</b>	<b>5715.25</b>

## जारी करने की पूर्व-शर्तें :

वर्ष	शर्त
2011-12	(क) 2011-12 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2010-11 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए।
2012-13	(क) 2012-13 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2011-12 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2010-11 (वास्तविक) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2013-14	(क) 2013-14 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2012-13 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2011-12 (वास्तविक) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2014-15	(क) 2014-15 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2014-15 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2013-14 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2012-13 (वास्तविक) निवल अनुदान 2012-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।

अनुबंध 12.4  
(पैरा 12.54)

पंचाट अवधि के दौरान अनुमानित उपलब्धि के लिए नमूना गणना

क्र. सं.	राज्य	कुल क्षमता (मेगा.)	संस्थापित क्षमता में कुल उपलब्धि	प्राप्त न हुई क्षमता (मेगा.)	राज्य की श्रेणी	अनुमानित उपलब्धि (मेगावाट)	प्राप्त न हुई क्षमता के अनुपात के रूप में क्षमता अभिवृद्धि (मेगा.)	राज्य का हिस्सा (I)	अनुदान करोड़ रुपए (I)	कुल क्षमता अभिवृद्धि के प्रतिशत के रूप में जोड़ी गई क्षमता	राज्य का हिस्सा (II)	अनुदान करोड़ रुपए (II)	क्षमता पूर्व अनुदान (I+II) करोड़ रुपए	प्रोत्साहन प्रति मेगा. (करोड़ रुप.) (क्षमता पूर्व)	क्षमता/मेगा. (सा.ओ. राज्यों के लिए 1.25 करोड़ रुप.; वि.श्रे. राज्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए)	कुल अनुदान करोड़ रुपए क्षमता के बाद (I+II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
वार्षिक-आई एक्स-आई सीए-आई																
1	आंध्र प्रदेश	9174	638	8536	सामान्य	500	0.059	1.78	22.22	8.33	8.33	312.29	334.51	0.669	0.669	334.51
2	अरुणाचल प्रदेश	1243	61	1182	विशेष	150	0.127	3.85	48.15	2.50	2.50	93.69	141.84	0.946	0.946	141.84
3	असम	120	27	93	विशेष	10	0.108	3.27	40.83	0.17	0.17	6.25	47.08	4.708	1.500	15.00
4	बिहार	149	55	94	सामान्य	20	0.212	6.43	80.36	0.33	0.33	12.49	92.85	4.643	1.250	25.00
5	छत्तीसगढ़	704	174	530	सामान्य	100	0.189	5.73	71.59	1.67	1.67	62.46	134.05	1.340	1.250	125.00
6	गोवा	5	0	5	सामान्य	1	0.202	6.13	76.63	0.02	0.02	0.62	77.25	77.253	1.250	1.25
7	गुजरात	10992	1440	9552	सामान्य	800	0.084	2.54	31.77	13.32	13.32	499.67	531.44	0.664	0.664	531.44
8	हरियाणा	1341	69	1272	सामान्य	100	0.079	2.39	29.81	1.67	1.67	62.46	92.27	0.923	0.923	92.27
9	हिमाचल प्रदेश	2019	240	1779	विशेष	200	0.112	3.41	42.64	3.33	3.33	124.92	167.56	0.838	0.838	167.56
10	जम्मू और कश्मीर	1294	112	1182	विशेष	125	0.106	3.21	40.11	2.08	2.08	78.07	118.19	0.945	0.945	118.19
11	झारखंड	170	4	166	सामान्य	20	0.121	3.66	45.71	0.33	0.33	12.49	58.21	2.910	1.250	25.00
12	कर्नाटक	9510	2022	7488	सामान्य	800	0.107	3.24	40.53	13.32	13.32	499.67	540.19	0.675	0.675	540.19
13	केरल	2349	157	2192	सामान्य	200	0.091	2.77	34.61	3.33	3.33	124.92	159.52	0.798	0.798	159.52
14	मध्य प्रदेश	7076	260	6816	सामान्य	500	0.073	2.23	27.82	8.33	8.33	312.29	340.12	0.680	0.680	340.12
15	महाराष्ट्र	5916	2205	3711	सामान्य	500	0.135	4.09	51.10	8.33	8.33	312.29	363.39	0.727	0.727	363.39
16	मणिपुर	92	5	87	विशेष	5	0.058	1.75	21.91	0.08	0.08	3.12	25.04	5.007	1.500	7.50
17	मेघालय	197	31	166	विशेष	20	0.121	3.66	45.71	0.33	0.33	12.49	58.20	2.910	1.500	30.00
18	मिजोरम	136	24	112	विशेष	10	0.090	2.72	34.01	0.17	0.17	6.25	40.26	4.026	1.500	15.00
19	नागालैंड	149	29	120	विशेष	10	0.083	2.52	31.52	0.17	0.17	6.25	37.77	3.777	1.500	15.00
20	उड़ीसा	1918	44	1874	सामान्य	100	0.053	1.62	20.24	1.67	1.67	62.46	82.70	0.827	0.827	82.70
21	पंजाब	3415	152	3263	सामान्य	200	0.061	1.86	23.25	3.33	3.33	124.92	148.17	0.741	0.741	148.17
22	राजस्थान	6428	726	5702	सामान्य	500	0.088	2.66	33.26	8.33	8.33	312.29	345.55	0.691	0.691	345.55
23	सिक्किम	214	47	167	विशेष	30	0.180	5.45	68.18	0.50	0.50	18.74	86.92	2.897	1.500	45.00
24	तमिलनाडु	4390	4531	0	सामान्य	600	0.212	6.43	80.41	9.99	9.99	374.75	455.16	0.759	0.759	455.16
25	त्रिपुरा	31	16	15	विशेष	3	0.200	6.07	75.86	0.05	0.05	1.87	77.74	25.912	1.500	4.50
26	उत्तर प्रदेश	2567	398	2169	सामान्य	200	0.092	2.80	34.97	3.33	3.33	124.92	159.89	0.799	0.799	159.89
27	उत्तराखंड	1478	128	1350	विशेष	200	0.148	4.50	56.19	3.33	3.33	124.92	181.11	0.906	0.906	181.11
28	पश्चिम बंगाल	1034	100	935	सामान्य	100	0.107	3.25	40.59	1.67	1.67	62.46	103.05	1.030	1.030	103.05
	<b>जोड़</b>	<b>7411</b>	<b>13695</b>	<b>60558</b>		<b>6004</b>	<b>3.295</b>	<b>100.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.833</b>		<b>4,572.90</b>

टिप्पणी : एक्स आई संबंधी अनुमान पूर्णतः व्याख्यात्मक प्रयोजन के लिए है।

अनुबंध 12.5  
(पैरा 12.57)

## जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	आंध्र प्रदेश	71	71	71	71	284
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2	2	2	8
3	असम	22	22	22	22	88
4	बिहार	76	76	76	76	304
5	छत्तीसगढ़	22	22	22	22	88
6	गोवा	2	2	2	2	8
7	गुजरात	59	59	59	59	236
8	हरियाणा	53	53	53	53	212
9	हिमाचल प्रदेश	16	16	16	16	64
10	जम्मू और कश्मीर	22	22	22	22	88
11	झारखंड	27	27	27	27	108
12	कर्नाटक	32	32	32	32	128
13	केरल	44	44	44	44	176
14	मध्य प्रदेश	37	37	37	37	148
15	महाराष्ट्र	92	92	92	92	368
16	मणिपुर	2	2	2	2	8
17	मेघालय	1	1	1	1	4
18	मिजोरम	1	1	1	1	4
19	नागालैंड	2	2	2	2	8
20	उड़ीसा	46	46	46	46	184
21	पंजाब	80	80	80	80	320
22	राजस्थान	56	56	56	56	224
23	सिक्किम	1	1	1	1	4
24	तमिलनाडु	48	48	48	48	192
25	त्रिपुरा	2	2	2	2	8
26	उत्तर प्रदेश	341	341	341	341	1364
27	उत्तराखंड	19	19	19	19	76
28	पश्चिम बंगाल	74	74	74	74	296
	<b>जोड़</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>5000</b>

कुल अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय, सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय (वृहद शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702)  
सिंचाई के लिए उगाही दर और जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मद/शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल (2010-15)
1	आंध्र प्रदेश						
	सामान्य व्यय	613.78	644.47	676.70	710.53	746.06	<b>3391.54</b>
	अनुदान	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	<b>284.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	613.78	715.47	747.70	781.53	817.06	<b>3675.54</b>
2	अरुणाचल प्रदेश						
	सामान्य व्यय	29.53	31.00	32.55	34.18	35.89	<b>163.15</b>
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	<b>8.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	29.53	33.00	34.55	36.18	37.89	<b>171.15</b>
3	असम						
	सामान्य व्यय	411.17	431.73	453.31	475.98	499.78	<b>2271.97</b>
	अनुदान	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	<b>88.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	411.17	453.73	475.31	497.98	521.78	<b>2359.97</b>
4	बिहार						
	सामान्य व्यय	854.48	897.20	942.06	989.17	1038.63	<b>4721.54</b>
	अनुदान	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	<b>304.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	854.48	973.20	1018.06	1065.17	1114.63	<b>5025.54</b>
5	छत्तीसगढ़						
	सामान्य व्यय	225.00	236.25	248.06	260.47	273.49	<b>1243.27</b>
	अनुदान	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	<b>88.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	225.00	258.25	270.06	282.47	295.49	<b>1331.27</b>
6	गोवा						
	सामान्य व्यय	36.06	37.86	39.75	41.74	43.83	<b>199.24</b>
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	<b>8.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	36.06	39.86	41.75	43.74	45.83	<b>207.24</b>
7	गुजरात						
	सामान्य व्यय	446.53	468.85	492.29	516.91	542.75	<b>2467.33</b>
	अनुदान	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	<b>236.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	446.53	527.85	551.29	575.91	601.75	<b>2703.33</b>
8	हरियाणा						
	सामान्य व्यय	693.48	728.15	764.56	802.79	842.92	<b>3831.90</b>
	अनुदान	0.00	53.00	53.00	53.00	53.00	<b>212.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	693.48	781.15	817.56	855.79	895.92	<b>4043.90</b>
9	हिमाचल प्रदेश						
	सामान्य व्यय	193.16	202.82	212.96	223.60	234.78	<b>1067.32</b>
	अनुदान	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	<b>64.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	193.16	218.82	228.96	239.60	250.78	<b>1131.32</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.60	6.60	9.60	12.60	

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मद/शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल (2010-15)
10	जम्मू और कश्मीर						
	सामान्य व्यय	250.56	263.09	276.24	290.06	304.56	1384.51
	अनुदान	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	250.56	285.09	298.24	312.06	326.56	1472.51
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	4.80	7.80	10.80	13.80	
11	झारखंड						
	सामान्य व्यय	330.29	346.80	364.14	382.35	401.47	1825.05
	अनुदान	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	330.29	373.80	391.14	409.35	428.47	1933.05
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
12	कर्नाटक						
	सामान्य व्यय	358.43	376.35	395.17	414.93	435.68	1980.56
	अनुदान	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	128.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	358.43	408.35	427.17	446.93	467.68	2108.56
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	24.00	29.00	34.00	39.00	
13	केरल						
	सामान्य व्यय	297.80	312.69	328.32	344.74	361.98	1645.53
	अनुदान	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	176.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	297.80	356.69	372.32	388.74	405.98	1821.53
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
14	मध्य प्रदेश						
	सामान्य व्यय	391.97	411.56	432.14	453.75	476.44	2165.86
	अनुदान	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	148.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	391.97	448.56	469.14	490.75	513.44	2313.86
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	24.00	29.00	34.00	39.00	
15	महाराष्ट्र						
	सामान्य व्यय	963.09	1011.25	1061.81	1114.90	1170.64	5321.69
	अनुदान	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	368.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	963.09	1103.25	1153.81	1206.90	1262.64	5689.69
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	93.00	93.00	93.00	93.00	
16	मणिपुर						
	सामान्य व्यय	52.42	55.04	57.79	60.68	63.71	289.64
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	52.42	57.04	59.79	62.68	65.71	297.64
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	24.20	27.20	30.20	33.20	
17	मेघालय						
	सामान्य व्यय	14.27	14.98	15.73	16.52	17.34	78.84
	अनुदान	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	14.27	15.98	16.73	17.52	18.34	82.84
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.40	6.40	9.40	12.40	
18	मिजोरम						
	सामान्य व्यय	1.95	2.05	2.15	2.26	2.37	10.78
	अनुदान	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	1.95	3.05	3.15	3.26	3.37	14.78
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.60	6.60	9.60	12.60	
19	नागालैण्ड						
	सामान्य व्यय	11.07	11.63	12.21	12.82	13.46	61.19
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	11.07	13.63	14.21	14.82	15.46	69.19
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	3.10	6.10	9.10	12.10	

क्र. सं.	मद/शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल (2010-15)
20	उड़ीसा						
	सामान्य व्यय	367.31	385.68	404.96	425.21	446.47	<b>2029.63</b>
	अनुदान	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	<b>184.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	367.31	431.68	450.96	471.21	492.47	<b>2213.63</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	26.00	31.00	36.00	41.00	
21	पंजाब						
	सामान्य व्यय	739.49	776.47	815.29	856.06	898.86	<b>4086.17</b>
	अनुदान	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	<b>320.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	739.49	856.47	895.29	936.06	978.86	<b>4406.17</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
22	राजस्थान						
	सामान्य व्यय	486.24	510.55	536.08	562.89	591.03	<b>2686.79</b>
	अनुदान	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	<b>224.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	486.24	566.55	592.08	618.89	647.03	<b>2910.79</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	27.00	32.00	37.00	42.00	
23	सिक्किम						
	सामान्य व्यय	2.14	2.24	2.35	2.47	2.60	<b>11.80</b>
	अनुदान	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	<b>4.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	2.14	3.24	3.35	3.47	3.60	<b>15.80</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	9.60	12.60	15.60	18.60	
24	तमिलनाडु						
	सामान्य व्यय	430.12	451.62	474.20	497.91	522.81	<b>2376.66</b>
	अनुदान	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	<b>192.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	430.12	499.62	522.20	545.91	570.81	<b>2568.66</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
25	त्रिपुरा						
	सामान्य व्यय	31.35	32.92	34.56	36.29	38.11	<b>173.23</b>
	अनुदान	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	<b>8.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	31.35	34.92	36.56	38.29	40.11	<b>181.23</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	4.20	7.20	10.20	13.20	
26	उत्तर प्रदेश						
	सामान्य व्यय	2853.66	2996.34	3146.16	3303.47	3468.64	<b>15768.27</b>
	अनुदान	0.00	341.00	341.00	341.00	341.00	<b>1364.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	2853.66	3337.34	3487.16	3644.47	3809.64	<b>17132.27</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
27	उत्तराखंड						
	सामान्य व्यय	240.29	252.31	264.92	278.17	292.08	<b>1327.77</b>
	अनुदान	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	<b>76.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	240.29	271.31	283.92	297.17	311.08	<b>1403.77</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	8.30	11.30	14.30	17.30	
28	पश्चिम बंगाल						
	सामान्य व्यय	771.10	809.65	850.14	892.64	937.28	<b>4260.81</b>
	अनुदान	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	<b>296.00</b>
	कुल योजना भिन्न राजस्व व्यय	771.10	883.65	924.14	966.64	1011.28	<b>4556.81</b>
	अपेक्षित उगाही दर (%)	—	20.00	25.00	30.00	35.00	
जोड़	सामान्य व्यय	<b>12096.74</b>	<b>12701.55</b>	<b>13336.60</b>	<b>14003.49</b>	<b>14703.66</b>	<b>66842.04</b>
	अनुदान	—	<b>1250.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>5000.00</b>
	जोड़-योजना-भिन्न राजस्व व्यय	<b>12096.74</b>	<b>13951.55</b>	<b>14586.60</b>	<b>15253.49</b>	<b>15953.66</b>	<b>71842.04</b>



अनुबंध 12.7  
(पैरा 12.58(iii))

2009-10 में सिंचाई के लिए वसूली दर (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	यो. भिन्न राज व्यय	एनपीआरआर	वसूली दर (%)
<b>क. विशेष श्रेणी राज्य</b>				
1.	अरुणाचल प्रदेश	27.97	0.00	0.00
2.	नागालैण्ड	10.42	0.01	0.10
3.	असम	391.59	0.80	0.20
4.	मेघालय	13.59	0.06	0.44
5.	मिजोरम	1.86	0.01	0.54
6.	हिमाचल प्रदेश	183.96	1.14	0.62
7.	त्रिपुरा	27.40	0.32	1.17
8.	जम्मू और कश्मीर	238.63	4.30	1.80
9.	उत्तराखंड	228.85	12.02	5.25
10.	सिक्किम	1.78	0.12	6.74
11.	मणिपुर	49.92	10.56	21.15
	<b>जोड़ - I</b>	<b>1175.97</b>	<b>29.34</b>	<b>2.49</b>
<b>ख. सामान्य श्रेणी राज्य</b>				
1.	बिहार	813.79	12.08	1.48
2.	केरल	268.10	8.95	3.34
3.	पंजाब	573.97	24.56	4.28
4.	पश्चिम बंगाल	734.38	35.98	4.90
5.	तमिलनाडु	342.57	23.09	6.74
6.	उत्तर प्रदेश	2210.68	166.81	7.55
7.	झारखंड	314.56	35.77	11.37
8.	मध्य प्रदेश	373.30	69.73	18.68
9.	कर्नाटक	196.90	42.68	21.68
10.	हरियाणा	575.92	130.31	22.63
11.	उड़ीसा	349.82	90.07	25.75
12.	राजस्थान	333.51	87.96	26.37
13.	आन्ध्र प्रदेश	349.50	93.09	26.64
14.	गोआ	34.34	10.94	31.86
15.	महाराष्ट्र	917.23	850.01	92.67
16.	गुजरात	368.16	510.94	138.78
17.	छत्तीसगढ़	125.58	186.00	148.11
	<b>जोड़ - II</b>	<b>8882.31</b>	<b>2378.97</b>	<b>26.78</b>
	<b>सभी राज्य औसत</b>	<b>10058.28</b>	<b>2408.31</b>	<b>23.94</b>

## जल सेक्टर के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु शर्तें

- इन अनुदानों को पब्लिक एमएमआई और एमआई सिंचाई योजनाओं के लिए वेतन-भिन्न अनुरक्षण मदों पर ही खर्च किया जाना चाहिए।
- ये अनुदान बजटीय हों और इन्हें शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702 के तहत केवल योजना-भिन्न राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए।
- सिंचाई के लिए वसूली दर को मुख्य शीर्ष 700, 701 और 702 के तहत एनपीआरआर के अनुपात के रूप में मुख्य शीर्षों 2700, 2701, 2702 के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय में ले लिया गया है। राज्य सिंचाई की वसूली दर के संबंध में निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करें:
  - विशेष श्रेणी वाले राज्य 2009-10 (ब.अ.) से 2011-12 में कम से कम 3 प्रतिशत बिन्दुओं तक सिंचाई की वसूली दर बढ़ाएं तथा उसके बाद पूर्वानुमानित अवधि के दौरान प्रत्येक अगले वर्ष 3 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि करें।
  - सामान्य श्रेणी वाले राज्य निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करें:

क्र. सं.	राज्यों की वसूली दर (2009-10 ब.अ.)	2011-12 में अपेक्षित वसूली दर	2014-15 तक प्रत्येक वर्ष वृद्धि
1.	0% से 15%	कम से कम 20%	5% बिन्दुओं तक
2.	15% से अधिक परंतु 75% से कम	2009-10 (ब.अ.) में कम से कम सभी राज्यों का औसत या उनकी संबंधित वसूली दरें, जो भी अधिक हो	5% बिन्दुओं तक
3.	75% और अधिक	संबंधित राज्यों का कम से कम 2009-10 (ब.अ.) स्तर पर	शेष पूर्वानुमानित अवधि के दौरान कम से कम 2011-12 का स्तर बनाए रखा जाए

- मुख्य शीर्ष 2700, 2701 एवं 2702 के अधीन कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने और अनुबन्ध 12.6 में दिए अनुसार अपेक्षित वसूली दर प्राप्त करने पर, ये अनुदान वित्त वर्ष में दो समान किस्तों में आबंटित किए जाए।

वर्ष	मद/शीर्ष
2011-12	(क) 2011-12 (ब.अ.), 2011-12 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2010-11 (सं.अ.), 2010-11 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
2012-13	(क) 2012-13 (ब.अ.), 2012-13 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2011-12 (सं.अ.), 2011-12 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2011-12 में जारी अनुदानों से कम नहीं होना चाहिए तथा 2012-13 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो।
	(ग) 2010-11 (वास्तविक), 2010-11 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम न हो।
2013-14	(क) 2013-14 (ब.अ.), 2013-14 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2012-13 (सं.अ.), 2012-13 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2012-13 में जारी अनुदानों से कम नहीं होना चाहिए तथा 2012-13 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक होनी चाहिए।
	(ग) 2011-12 (वास्तविक), 2011-12 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2011-12 में जारी अनुदानों से कम न हो तथा 2011-12 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो
2014-15	(क) 2014-15 (ब.अ.), 2014-15 के अनुमानित कुल योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होना चाहिए।
	(ख) 2013-14 (सं.अ.), 2013-14 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2013-14 में जारी किए गए अनुदानों से कम नहीं हो और 2013-14 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो।
	(ग) 2012-13 (वास्तविक), 2012-13 के सामान्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय + 2012-13 में जारी किए गए अनुदानों से कम न हो तथा 2012-13 में वसूली दर अपेक्षित दर पर या अधिक हो

- तीसरे वर्ष में (अर्थात् 2012-13 में) केवल उन्हीं राज्यों को अनुदान जारी किए जाने चाहिए जिन्होंने उपयुक्त विधायन के माध्यम से सांविधिक एवं स्वतंत्र जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण गठित कर लिए हैं तथा 31 मार्च, 2012 तक सभी संगत उपबंध अधिसूचित कर दिए हैं। तथापि, यह शर्त, असम राज्य को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू नहीं होगी।

अनुबंध 12.9  
(पैरा 12.71)

## यूआईडी के लिए प्रोत्साहन अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूआरपी गरीबी सीमा रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या	100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रस्तावित अनुदान
		लाख	करोड़ रुपए
1.	आन्ध्र प्रदेश	126.1	126.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.0	2.0
3.	असम	55.8	55.8
4.	बिहार	369.2	369.2
5.	छत्तीसगढ़	91.0	91.0
6.	गोआ	2.0	2.0
7.	गुजरात	90.7	90.7
8.	हरियाणा	32.1	32.1
9.	हिमाचल प्रदेश	6.4	6.4
10.	जम्मू और कश्मीर	5.9	5.9
11.	झारखंड	116.4	116.4
12.	कर्नाटक	138.9	138.9
13.	केरल	49.6	49.6
14.	मध्य प्रदेश	249.7	249.7
15.	महाराष्ट्र	317.4	317.4
16.	मणिपुर	4.0	4.0
17.	मेघालय	4.5	4.5
18.	मिजोरम	1.2	1.2
19.	नागालैण्ड	4.0	4.0
20.	उड़ीसा	178.5	178.5
21.	पंजाब	21.6	21.6
22.	राजस्थान	134.9	134.9
23.	सिक्किम	1.1	1.1
24.	तमिलनाडु	145.6	145.6
25.	त्रिपुरा	6.4	6.4
26.	उत्तर प्रदेश	590.0	590.0
27.	उत्तराखंड	36.0	36.0
28.	पश्चिम बंगाल	208.4	208.4
	<b>सभी राज्य</b>	<b>2989.1</b>	<b>2989.1</b>

स्रोत : योजना आयोग

### आईएमआर को घटाने के लिए प्रोत्साहन अनुदानों से संबंधित फार्मूला

- राज्यों को अंक देने के लिए (और प्रोत्साहन निर्धारित करने के लिए) अपनाया गया तरीका निम्नलिखित तर्कों पर आधारित है: (i) सभी राज्यों की आरंभिक स्थितियों पर विधित्व विचार किया जाना चाहिए; (ii) आधार वर्ष (आरंभिक स्थिति) में उनके स्तर की तुलना उनके निष्पादन में सुधार (या गिरावट) को समुचित रूप पुरस्कृत (या दंडित) किया जाना चाहिए; (iii) जो राज्य बेंचमार्क स्तर से ऊपर हैं, उन्हें विचाराधीन अवधि में न्यूनतम स्तर पर अंक जमा बेहतर निष्पादन, यदि कोई हों, के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए और (iv) बेंचमार्क की तुलना में आधार वर्ष में निष्पादन का स्तर जितना अधिक होगा, उनके आधार स्तर (आरंभिक स्थिति) की तुलना में सुधार करना उतना ही कठिन होगा और इसलिए उन्हें अधिक भारांश दिया जाना चाहिए।
- राज्यों को इन कारकों के संदर्भ में आधार वर्ष की तुलना में उनके वृद्धिशील निष्पादन के आधार पर अंक दिए जाने चाहिए (i) उनकी आरंभिक स्थिति और (ii) पूर्वनिर्धारित मानक या बेंचमार्क/आरंभिक स्थिति को आधार वर्ष में राज्य के निष्पादन स्तर (उत्पादन या परिणाम या कोई अन्य संकेतक) के रूप में परिभाषित किया गया है। वृद्धिशील निष्पादन संगणना वर्ष (अंतिम वर्ष) में निष्पादन के स्तर और आधार वर्ष (आरंभिक वर्ष) में निष्पादन के स्तर के बीच का अन्तर होता है।
- यदि किसी राज्य का निष्पादन स्तर आधार वर्ष और अंतिम वर्ष में बेंचमार्क से कम रहा है, तो उसे उस प्रतिशत के समतुल्य अंक दिए जाएंगे जिससे वह बेंचमार्क से अपने अंतराल को कम करे। नकारात्मक निष्पादन के लिए शून्य अंक दिए जाएंगे।
- यदि किसी राज्य का निष्पादन स्तर आधार वर्ष में बेंचमार्क स्तर से कम है लेकिन अंतिम वर्ष से अधिक है, तो उसे बेंचमार्क स्तर की तुलना में अंतिम वर्ष में निष्पादन स्तर में हुई प्रतिशत वृद्धि जमा 100 अंक दिए जाएंगे।
- जिन राज्यों की उपलब्धि आधार वर्ष और अंतिम वर्ष में बेंचमार्क स्तर से अधिक है, उन्हें 100 अंक जमा आधार वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि, जिसे बेंचमार्क के प्रतिशत के तौर पर अंतिम वर्ष में बेंचमार्क से निष्पादन स्तर के अंतर से गुणा किया जाएगा, के समतुल्य अंक दिए जाएंगे। आधार या आरंभिक वर्ष के संदर्भ में नकारात्मक निष्पादन लेकिन फिर भी उसके बेंचमार्क से ऊपर होने पर केवल 100 अंक दिए जाएंगे। किसी राज्य को बेंचमार्क से नीचे ले जाने वाला नकारात्मक निष्पादन (अर्थात् अंतिम वर्ष में बेंचमार्क स्तर से कम निष्पादन) का परिणाम यह होगा कि राज्य को शून्य अंक मिलेंगे।
- इस आधार पर राज्यों द्वारा हासिल किए गए अंक (जिन्हें प्रोत्साहन गुणांक कहा जा सकता है) जोड़े जाएंगे और प्रत्येक राज्य के अंक (प्रोत्साहन गुणांक) इस संग्रहित जोड़ के प्रतिशत के रूप में आकलित किए जाएंगे जो राज्य का प्रोत्साहन मूल्य अथवा प्रोत्साहन प्रतिशत देगा। इसके बाद राज्य इस प्रोत्साहन प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन अनुदानों हेतु पात्र होंगे।
- दोहराने के लिए ही कहा जा रहा है कि, यह प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित है कि बेंचमार्क के संदर्भ में आरंभिक स्थिति जितना अधिक (या बेहतर) होगी, वृद्धिशील बेहतर निष्पादन हासिल करना उतना ही कठिन होगा और इसलिए उसके लिए समुचित या उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाना उचित होगा।
- इसका तर्काधार निम्नानुसार है: जिन राज्यों ने अपेक्षतया निष्पादन का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है और निष्पादन स्पेक्ट्रम के उच्चतम स्तर पर हैं, उनकी आधार वर्ष के स्तर की तुलना में आगे प्रतिशत सुधार की संभावना अपेक्षाकृत सीमित होगी। आशय यह है कि जो राज्य अपेक्षतया निष्पादन के उच्च स्तर पर हैं और वृद्धिशील प्रतिशत सुधार की सीमित संभावना के चलते कुछ हद तक घाटे में हैं, उन्हें हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए, आधार (अथवा आरंभिक) वर्ष की तुलना में उनका प्रतिशत सुधार एस अंतर्निहित हानि के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति करने के लिए उचित रूप से भारित किया जाना चाहिए। इसलिए, प्रस्ताव किया जाता है कि माध्यिक (बेंचमार्क) के प्रतिशत के रूप में माध्यिक (बेंचमार्क) से उनके उत्पादन/परिणाम संकेतक के अंतर द्वारा उनका निष्पादन भारित किया जाए।
- शिशु मृत्यु दर गरीबी दर जैसे संकेतकों के लिए राज्य के संकेतक निष्पादन के बीच प्रतिलोभ संबंध है अर्थात् संकेतक में कमी के परिणामस्वरूप प्रोत्साहन दिया जाएगा जबकि वृद्धि के लिए दंडित किया जाएगा। इस सूत्र में यह आवश्यकता सन्निहित की गई है।

10. उपर्युक्त पद्धति गणितीय अंकन द्वारा इस प्रकार दिखाया जाता है:

$x_y^i$  आधार वर्ष (y) में iवें राज्य का परिणाम संकेत है

$x_{y+5}^i$  पांच वर्ष पश्चात अर्थात (y+5) वे वर्ष में iवें राज्य का परिणाम संकेत है।

M आधार वर्ष (y) में सभी राज्यों के परिणाम संकेतकों का मध्यिक मूल्य है।

$IC_i$  iवें राज्य का प्रोत्साहन गुणांक है।

$IV_i$  iवें राज्य का प्रोत्साहन मूल्य अथवा प्रोत्साहन प्रतिशतांक है।

परिदृश्य 1  $x_y^i > M$

मामला 1

जब  $M < x_{y+5}^i < x_y^i$


$$IC_i = \frac{(x_y^i - x_{y+5}^i)}{x_y^i - M} * 100$$



मामला 2

जब  $x_{y+5}^i \geq x_y^i$


फिर  $IC_i = 0$



मामला 3

जब  $x_{y+5}^i < M$

$$IC_i = 100 + \frac{(M - x_{y+5}^i)}{M} * 100$$




परिदृश्य 2  $x_y^i \leq M$

मामला 1

जब  $x_{y+5}^i < x_y^i$


$$IC_i = 100 + \frac{(x_y^i - x_{y+5}^i)}{x_y^i} * 100 * \frac{(M - x_{y+5}^i)}{M} * 100$$



मामला 2

जब  $x_{y+5}^i > x_y^i$  but  $x_{y+5}^i < M$


$IC_i = 100$



मामला 3

जब  $x_{y+5}^i > M \geq x_y^i$

$IC_i = 0$



सभी राज्यों के लिए प्रोत्साहन गुणांक प्राप्त करने के बाद प्रोत्साहन मूल्य या प्रोत्साहन प्रतिशतांक इस प्रकार परकलित किया जाता है।

$$IV^i = \frac{IC^i}{\sum_i IC^i} * 100 \quad i \text{ हेतु } 1 \text{ से } n \text{ जहां } n \text{ राज्यों की संख्या है।}$$

अनुबंध 12.11  
(पैरा 12.75)

## शिशु मृत्यु दर के परिवर्तन के लिए अनुरूपी गणनाएं

राज्य	2009 से.रजि.सिस्टम	2012 से.रजि.सिस्टम	प्रोत्साहन गुणांक	प्रोत्साहन मूल्य (%)
क	36	30	111.76	1.05
ख	19	17	626.32	5.86
ग	39	35	80.00	0.75
घ	42	33	102.94	0.96
ङ	48	39	64.29	0.60
च	11	12	100.00	0.94
छ	35	28	117.65	1.10
ज	43	30	111.76	1.05
झ	27	25	296.08	2.77
त्र	37	33	102.94	0.96
ट	33	28	367.38	3.44
ठ	10	8	1629.41	15.24
ड	48	38	71.43	0.67
ढ	23	19	867.26	8.11
ण	8	7	1092.65	10.22
त	43	23	132.35	1.24
थ	24	22	394.12	3.69
द	28	21	1055.88	9.87
ध	49	40	60.00	0.56
न	33	28	367.38	3.44
प	38	30	111.76	1.05
फ	19	17	626.32	5.86
ब	49	17.8	147.65	1.38
भ	26	20	1050.23	9.82
म	49	41	53.33	0.50
य	29	22	951.93	8.90
				100
<b>माधिका</b>	<b>34</b>			

न्याय जल्दी देने के लिए अनुदान आबंटन

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत अदालतों की संख्या	न्यायिक जिलों की संख्या	प्रातःकालीन/सायंकालीन अदालतें	लोक अदालत व कानूनी सहायता	न्यायिक अधि. प्रशि.	लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण	विरासत न्यायालय भवन	राज्य न्यायिक अकादमी	एडीआर केन्द्र	न्यायालय प्रबंधक	कुल
(करोड़ रुपए)												
1.	आन्ध्र प्रदेश	926	23	145.18	17.42	14.52	8.71	26.13	15.00	31.25	12.50	270.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	339	0	53.15	6.38	5.31	3.19	9.57		0.00	0.00	77.60
3.	असम	289	21	45.31	5.44	4.53	2.72	8.16	15.00	28.53	11.41	121.10
4.	बिहार	1367	30	214.32	25.72	21.43	12.86	38.58	15.00	40.76	16.30	384.97
5.	छत्तीसगढ़	348	16	54.56	6.55	5.46	3.27	9.82	15.00	21.74	8.70	125.09
6.	गोआ	49	2	7.68	0.92	0.77	0.46	1.38		2.72	1.09	15.02
7.	गुजरात	1028	26	161.17	19.34	16.12	9.67	29.01	15.00	35.33	14.13	299.76
8.	हरियाणा	393	18	61.61	7.39	6.16	3.70	11.09		24.46	9.78	124.20
9.	हिमाचल प्रदेश	126	11	19.75	2.37	1.98	1.19	3.56	15.00	14.95	5.98	64.77
10.	जम्मू और कश्मीर	208	22	32.61	3.91	3.26	1.96	5.87	15.00	29.89	11.96	104.46
11.	झारखंड	527	22	82.62	9.91	8.26	4.96	14.87	15.00	29.89	11.96	177.48
12.	कर्नाटक	872	29	136.71	16.41	13.67	8.20	24.61	15.00	39.40	15.76	269.76
13.	केरल	430	14	67.42	8.09	6.74	4.04	12.13	15.00	19.02	7.61	140.06
14.	मध्य प्रदेश	1307	49	204.91	24.59	20.49	12.29	36.88	15.00	66.58	26.63	407.38
15.	महाराष्ट्र	1898	49	297.57	35.71	29.76	17.85	53.56	15.00	66.58	26.63	542.65
16.	मणिपुर	34	2	5.33	0.64	0.53	0.32	0.96		2.72	1.09	11.59
17.	मेघालय	10	1	1.57	0.19	0.16	0.09	0.28		1.36	0.54	4.19
18.	मिजोरम	40	2	6.27	0.75	0.63	0.38	1.13		2.72	1.09	12.96
19.	नागालैण्ड	27	0	4.23	0.51	0.42	0.25	0.76		0.00	0.00	6.18
20.	उड़ीसा	531	30	83.25	9.99	8.32	4.99	14.98	15.00	40.76	16.30	193.61
21.	पंजाब	346	14	54.25	6.51	5.42	3.25	9.76	15.00	19.02	7.61	120.83
22.	राजस्थान	825	34	129.34	15.52	12.93	7.76	23.28	15.00	46.20	18.48	268.51
23.	सिक्किम	13	2	2.04	0.24	0.20	0.12	0.37	15.00	2.72	1.09	21.78
24.	तमिलनाडु	788	30	123.54	14.83	12.35	7.41	22.24	15.00	40.76	16.30	252.44
25.	त्रिपुरा	80	3	12.54	1.51	1.25	0.75	2.26		4.08	1.63	24.02
26.	उत्तर प्रदेश	2174	70	340.84	40.90	34.08	20.45	61.35	15.00	95.11	38.04	645.78
27.	उत्तराखंड	273	13	42.80	5.14	4.28	2.57	7.70	15.00	17.66	7.07	102.22
28.	पश्चिम बंगाल	698	19	109.43	13.13	10.94	6.57	19.70	15.00	25.82	10.33	210.91
	<b>सभी राज्य</b>	<b>15946</b>	<b>552</b>	<b>2500.00</b>	<b>300.00</b>	<b>250.00</b>	<b>150.00</b>	<b>450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>750.00</b>	<b>300.00</b>	<b>5000.00</b>



## नवाचार लोक प्रणाली केन्द्र (सीआईपीएस) की स्थापना हेतु अवधारणा टिप्पणी और दिशा-निर्देश

## प्रस्तावना

विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त नवाचार परिपाटियां संबंधी वित्त आयोग के प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण किया गया।

कुछ राज्यों द्वारा, हाल के वर्षों में लागू किए कुछ नवाचार अथवा बेहतर पद्धतियों में सम्मिलित हैं:

- (i) सूचना के अधिकार के संबंध में आम लोगों में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में एक लाख बुलेटिनों का वितरण, जिनमें विशेष रूप से छात्रों में जागरूकता पैदा करने पर बल दिया गया है।
- (ii) भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों की सम्पत्तियों की कुर्की के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन जिससे नौकरशाही में एक जोरदार संदेश गया।
- (iii) भू-रिकार्डों को अद्यतन करने हेतु प्राइवेट सर्वेक्षकों को शामिल करना और लाइसेंस प्रदान करना तथा किसानों को मालिकाना हक प्रदान करने के रिकार्ड की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां बहुत ही कम लागत पर शीघ्र जारी करने में मदद करना।
- (iv) कानूनी सहायता प्रकोष्ठों की स्थापना, नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने में मदद करना। इसके अतिरिक्त, जन उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों या विवादों के निवारण हेतु एक समर्पित लोक अदालत की स्थापना।
- (v) उपलब्ध संसाधनों का समयबद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए लोक अधिकारियों द्वारा नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु पहल शुरु करना।
- (vi) झूम खेती को रोकने के लिए एक नयी भू उपयोग नीति तैयार करना।
- (vii) शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत सेवाओं के प्रबंध का सामुदायिकीकरण करना।
- (viii) निजी क्षेत्र को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।

नवाचारों के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों, नवाचारों के लिए रिज्यूनीयरिंग और प्रोत्साहनों की कार्यविधि के लिए किए गए प्रयासों से यह पता चला है कि शासन की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न राज्यों में अजमाए जा रहे विचारों की कोई कमी नहीं है। तथापि, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

- (i) राज्य भर में विभिन्न प्रयोगों और सफल नीतियों से वैचारिक एवं प्रक्रियात्मक पाठों को अलग करने के लिए पर्याप्त चेष्टा नहीं की गयी।
- (ii) राज्य में विभिन्न सेक्टरों और विभिन्न स्तरों में नवाचार संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों पर कोई डाटाबेस नहीं है।
- (iii) पर्याप्त दर और पैमाने पर विचारों का आदान-प्रदान नहीं हो रहा है।
- (iv) कई अच्छे विचार जो एक बार अपनाए गए हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है और उन पर अल्प ध्यान दिया गया है, उन्हें अक्सर दुबारा उपयोग में नहीं लाया गया।
- (v) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार हेतु प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं और एजेंटों को बदलने हेतु पर्याप्त स्पष्टता नहीं बरती गयी है।
- (vi) विभिन्न सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थानों में प्रशिक्षण तथा शिक्षण की प्रणालियों को विभिन्न नवाचारों के पाठों में पर्याप्त तथा सुव्यस्थित तरीके से शामिल किया गया है।
- (vii) सार्वजनिक, निजी तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के मध्य पारम्परिक सम्पर्क करने की आवश्यकता लगभग समस्त देश में महसूस की जा रही है, लेकिन इस पारम्परिक सम्पर्क स्थापित करने की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद नहीं है।
- (viii) नवाचार हेतु नेतृत्व निर्माण के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे यथावत बनाए रखा जाए और जहां आवश्यक हो, नए नवाचारों का सृजन किया जाए।

उपर्युक्त के प्रकाश में, नवाचार लोक प्रणाली केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है जो विभिन्न राज्यों में संस्कृति तथा अभिशासन की संरचना में नवाचार परिवर्तनों को उत्प्रेरित करेगा। केन्द्र उपर्युक्त पहचान किए गए विभिन्न अन्तरालों की पूर्ति करेगा और बढ़ती सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति में टिकाऊ परिणाम प्राप्त करने में योगदान देगा। केन्द्र सृजनात्मक विचारों को स्थानीय स्तर पर सतत प्रक्रियाओं में रूपान्तरित करने हेतु नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए विकासात्मक नीतियों में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराएगा।

निम्नलिखित खण्डों में इसके प्रस्तावित मिशन और उद्देश्यों का कार्य, उसकी अवस्थिति, अभिशासन प्रक्रियाओं तथा इसके संस्थापना से सम्बद्ध अन्य पहलुओं को निर्धारित किया गया है।

**सीआईपीएस : मिशन और उद्देश्य**

सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार तथा सुप्रक्रिया केन्द्र का मिशन सार्वजनिक प्रणालियों में तेजी लाना और नवाचार को प्रेरित करने सम्बन्धी संस्कृति का माहौल बनाने में सहायता प्रदान करना है।

स्वायत्तशासी निकाय के बतौर सीआईपीएस की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (i) विभिन्न राज्यों में आम जनता के कल्याण हेतु लोगों के प्रबंधन प्रक्रिया (लागत तथा गुणवत्ता), प्रणाली (प्रौद्योगिकी) तथा सेवाओं में सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों की पहचान, उसे मान्यता तथा प्रोत्साहन देना।
- (ii) समस्त राज्यों में नीतियों और प्रक्रियाओं में कार्रवाई अनुसंधान परियोजनाओं, सूक्ष्म स्तर परिवर्तनों और नवाचारों को प्रारम्भ करने हेतु पार्श्विक शिक्षण को प्रेरित करना तथा बढ़ावा देना।
- (iii) सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों, सर्वेक्षणों, प्रकाशन तथा नवाचार का राष्ट्रीय केटालॉग/ डाटाबेस के विकास के जरिए क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न भागीदारों में अभिशासन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव तथा प्रकटन के वहन को सुगम बनाना।
- (iv) सार्वजनिक प्रणालियों में अभिशासन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव तथा प्रकटन के वहन को सुगम बनाना।

**सीआईपीएस के कार्य**

इस केन्द्र के कार्य इस प्रकार हैं :

- (i) राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विभिन्न नवाचारों को खोजना उनका अवलोकन तथा पहचान करना जिनका सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी वर्धित कार्यक्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और जिससे लागत में कमी आयी।
- (ii) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों के पब्लिक डोमेन सूची को तैयार करना, ज्ञान प्रबन्धन के उद्देश्य तथा नवाचारों के विस्तार हेतु सरकारी विभाग।
- (iii) पारिस्थितिकीय प्रणालियों के प्रादुर्भाव को सुगम बनाना जो मितव्ययी नवाचार विचारों के अनुकूल हैं, सशक्तिकरण तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था करते हैं और नवाचारों के प्रोत्साहन हेतु जोखिम लेने के अनुभवों को प्रोत्साहित करते हैं।
- (iv) प्रशासन में नए जोखिमों तथा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के ज्ञान की हिस्सेदारी तथा प्रसारण हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
- (v) सार्वजनिक प्रणालियों में सतत परिवर्तन तथा रूपान्तरण हेतु जांच की नई लाइनें प्रारम्भ करने हेतु नवाचार प्रक्रिया को तीव्र करना तथा विचारों के आपसी आदान-प्रदान हेतु प्रोत्साहनों (पुरस्कार तथा मान्यता) के लिए रीतियों को विकसित करने में सहायता मुहैया कराना।
- (vi) चालू आधार पर नए समाधानों के सृजन हेतु नवाचार मनोवृत्ति के विकास हेतु राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण।
- (vii) नवाचार को अवरुद्ध करने वाले सम्भाव्य अवरोधकों की पहचान हेतु नैदानिक अध्ययनों के अनुसरण को सुगम बनाना और उन बातों पर ध्यान देना जो सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों को सुगम बनाते हैं।
- (viii) नए विचारों हेतु सामाजिक उपक्रम पूंजी/नवाचार प्रोत्साहन निधि तथा निवेश में महत्वपूर्ण संतुलन की व्यवस्था को सुगम बनाना और प्रशासन में निवेश।
- (ix) समावेशी नीति समाधान तथा प्रचालनात्मक तंत्रों के विकास हेतु रचनात्मक बहस, आत्मविश्लेषण और प्रकटन की स्थापना के लिए शीर्ष नेताओं (मुख्य मंत्रियों, मंत्रियों, प्रधान सचिवों, सचिवों आदि) की वार्षिक रिट्रिट्स का आयोजन। इससे नेतृत्व गुणों के निर्माण में सहायता मिलेगी जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर शिक्षण को सुगम बनाएगा।
- (x) सार्वजनिक प्रणालियों में वार्षिक अवार्ड योजना के माध्यम से उत्कृष्ट नवाचारों को सम्मानित करना ताकि सार्वजनिक प्रणालियों/राज्य विभागों में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- (xi) एक ज्ञान निकाय का विकास करना जिसमें अनुसंधान आधारित मामला अध्ययन, नवाचारों का तुलनात्मक विश्लेषण तथा मल्टीमीडिया एवं बहु-भाषा अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करके राज्यों के भीतर तथा सभी राज्यों में उनके विसरण का अनुभव शामिल हो जिससे वे सार्वजनिक सेवाओं के परिदाय में अधिक अभिनव बन सकें।

**सीआईपीएस: एएससीआई में उसकी अवस्थिति**

सार्वजनिक प्रणाली नवाचार केन्द्र (सीआईपीएस) भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कालेज, हैदराबाद में अवस्थित होगा जो 1956 में सरकार तथा उद्योग की पहल के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। कालेज का लोक प्रशासन में अच्छी पद्धति तथा नवाचारों को संवर्धित करने का रिकार्ड है। एएससीआई प्रशासनिक सुधार विभाग तथा प्रधान मंत्री कार्यालय की सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार परिवर्तन अभिकर्मकों को मान्यता प्रदान करने में सहायता देने में भी रत है।

**सीआईपीएस : अभिशासन संरचना**

सीआईपीएस, जो एएससीआई में अवस्थित होगा, के लिए अभिशासन व्यवस्थाएं निम्न प्रकार होंगी:-

**(क) परामर्शी परिषद**

सीआईपीएस के लिए एक परामर्शी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:-

- (i) सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- (ii) केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि अर्थात् वित्त सचिव, सचिव (कार्मिक), तथा सचिव (प्रशासनिक सुधार)।
- (iii) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक
- (iv) अध्यक्ष, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन
- (v) नवाचार के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध चार स्वतंत्र विशेषज्ञ, जिन्हें एएससीआई के महानिदेशक द्वारा नामित किया जाना है।
- (vi) सीआईपीएस के निदेशक जो संयोजक/सचिव के रूप में कार्य करेगा।

परामर्शी परिषद के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के मुख्य सचिव होंगे जो एएससीआई के राज्यपाल न्यायालय के सदस्य भी हो अथवा एएससीआई कोर्ट ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति है।

परामर्शी परिषद :

- (i) केन्द्र के कार्य कार्यक्रम पर टिप्पणी करेगी तथा सुझाव देगी और इसके कार्यान्वयन को मानीटर करेगी।
- (ii) सीआईपीएस के वार्षिक बजट की समीक्षा तथा उस पर टिप्पणी करेगी और एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करेगी।
- (iii) वर्ष में दो बार हैदराबाद में बैठक करेगी बशर्ते कि इसकी सदस्यता का न्यूनतम 25 प्रतिशत कोरम उपस्थित हो।

**(ख) संचालन समिति**

केन्द्र के कार्य कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान करने तथा उसे संचालित करने में राज्य सरकारों की अंतर्दृष्टियों के प्रतिनिधित्व हेतु स्थान की व्यवस्था करने के लिए एक संचालन समिति की स्थापना की जाएगी। समिति के अध्यक्ष एएससीआई के महानिदेशक होंगे। संचालन समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

- (i) सरकार के दो मुख्य सचिव या उनके नामिती जिन्हें आवर्तन आधार पर एक वर्ष प्रत्येक के लिए कार्य करने हेतु एएससीआई के कोर्ट ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष द्वारा मंत्रित किया जाएगा (अथवा परामर्शी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा)
- (ii) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक
- (iii) परामर्शी परिषद में प्रतिनिधित्व रखने वाले चार स्वतंत्र नामितियों में से दो नामिती जिन्हें एएससीआई के महानिदेशक अमंत्रित करे।
- (iv) सीआईपीएस के निदेशक (संयोजक/सचिव) जिनकी नियुक्त एएससीआई द्वारा की जाएगी।

संचालन समिति की हर तिमाही में बैठक होगी जिसके कोरम को पूर्ति इसके एक-तिहाई सदस्यों द्वारा की जाएगी। समिति अपनी कार्य योजना के संबंध में वर्ष में दो बार सीआईपीएस को सलाहकार परिणाम और उसके माध्यम से एएससीआई के कोर्ट आफ गवर्नर्स को रिपोर्ट करेगी।

**वित्तपोषण**

- (i) वर्ष 2010-11 के दौरान वित्त आयोग के अनुदान के आधार पर आन्ध्र प्रदेश सरकार के माध्य से 20 करोड़ रुपए का एक-कालिक अनुदान एएससीआई के पास निहित होगा।
- (ii) निधियां एएससीआई द्वारा धारित और प्रबंधित की जाएगी और यह एएससीआई के निधियन और क्रियाकलापों पर लागू लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन होगी।
- (iii) सीआईपीएस राज्य सरकारों, प्राइवेट क्षेत्र और अन्य निधियन एजेंसियों जैसे कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) सहित अन्य स्रोतों से इस शर्त पर और निधियां सृजित कर सकता है कि किसी भी स्थिति में सीआईपीएस के उद्देश्य में और न ही इसके अभिशासन तंत्र में मामूली सा भी बदलाव लाया जाएगा।

### प्रचालन संबंधी मुद्दे

तीसरे वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुदान का पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में भी भूमि की खरीद करने अथवा भवन निर्माण अथवा भवन को खरीद करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि पांच वर्ष के अन्त में सीआईपीएस का अधिदेश समाप्त हो जाता है तो भी चल सम्पत्ति जैसे कि फर्नीचर, कम्प्युटर, किताबें, आदि एएससीआई की सम्पत्ति बन जाएगी।

एएससीआई के लिए लागू लेखा परीक्षा ढांचा सीआईपीएस पर लागू किया जाएगा और सीआईपीएस के खातों की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा की जाएगी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष सीआईपीएस की सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसे इसी प्रकार एएससीआई के कोर्ट ऑफ गवर्नर्स को उनके अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

### सीआईपीएस का स्टाफ तथा स्थापना

केन्द्र मुख्य तथा परियोजना आधारित स्टाफ के सिद्धांत पर कार्य करेगा जिसमें प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय स्टाफ कम से कम होगा। जैसाकि वित्त पोषण की गारंटी पांच वर्ष के लिए है, इसलिए सीआईपीएस के लिए पूर्णकालिक आधार पर निर्दिष्ट स्टाफ की भर्ती पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी।

जब तक कि अन्यथा कुछ विनिर्दिष्ट न किया जाए, एएससीआई को शामिल करने वाले स्टाफ संबंधी नियम एवं विनियम सीआईपीएस पर भी लागू होंगे।

किसी प्रशासन, संकाय और अन्य सेवाओं के लिए जैसे कि एएससीआई द्वारा प्रस्तुत की गई अवसंरचना का प्रयोग, सीआईपीएस की कार्यवाही परिसर द्वारा यथा प्रस्तावित और एएससीआई की गवर्नर्स का संचालन समिति द्वारा अनुमोदित उपयुक्त प्रकार की व्यवस्था सीआईपीएस के बजट में की जाएगी।

एएससीआई, एएससीआई की लम्बे अभिशासन प्रक्रियाओं के ढांचे और सीआईपीएस के विशिष्ट अधिदेश के अन्तर्गत सीआईपीएस के अच्छे कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

### चौदहवें वित्त आयोग को रिपोर्ट

संचालन समिति सलाहकार परिषद के साथ विमर्श करके और एएससीआई के कोर्ट ऑफ गवर्नर्स के अनुमोदन से सीआईपीएस द्वारा किए गए सभी कार्यों जिसमें तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मुहैया कराए गए अनुदान का उपयोग करके किया गया कार्य भी शामिल है, की समीक्षा 31 मार्च, 2014 को चौदहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत करेगी।

## अनुबंध 12.14

(पैरा 12.96 और 12.101)

## जिला नवाचार निधि के लिए और जिला व राज्य सांख्यिकी प्रणाली सुधारने के लिए राज्यवार अनुदान

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	जिला नवाचार निधि के लिए अनुदान (करोड़ रुपए)	जिला व सांख्यिकी प्रणालियां सुधारने के लिए अनुदान (करोड़ रुपए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	16
3.	असम	27	27	27
4.	बिहार	38	38	38
5.	छत्तीसगढ़	18	18	18
6.	गोआ	2	2	2
7.	गुजरात	26	26	26
8.	हरियाणा	21	21	21
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	12
10.	जम्मू और कश्मीर	22	22	22
11.	झारखंड	24	24	24
12.	कर्नाटक	29	29	29
13.	केरल	14	14	14
14.	मध्य प्रदेश	50	50	50
15.	महाराष्ट्र	35	35	35
16.	मणिपुर	9	9	9
17.	मेघालय	7	7	7
18.	मिजोरम	8	8	8
19.	नागालैण्ड	11	11	11
20.	उड़ीसा	30	30	30
21.	पंजाब	20	20	20
22.	राजस्थान	33	33	33
23.	सिक्किम	4	4	4
24.	तमिलनाडु	31	31	31
25.	त्रिपुरा	4	4	4
26.	उत्तर प्रदेश	70	70	70
27.	उत्तराखंड	13	13	13
28.	पश्चिम बंगाल	19	19	19
	<b>कुल 28 राज्य</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>

## कर्मचारी डाटाबेस प्रपत्र के लिए नमूना

1. कर्मचारी कोड
2. पूरा नाम (कर्मचारी/अधिकारी) (हिन्दी/अंग्रेजी में)
3. पिता/पति का नाम
4. पुरुष/महिला
5. जन्म तिथि
6. नियुक्ति की तारीख
7. पद का नाम/प्रथम नियुक्ति पर पदनाम
8. वर्तमान पद/पदनाम
9. वर्तमान पद/पदनाम का वेतनमान
10. स्थायी/अस्थायी कर्मचारी
11. वर्तमान में वेतन-वृद्धि की तारीख
12. पेंशन के लिए हकदार (प्रसुविधा बताएं/नई पेंशन स्कीम/दोनों में कोई भी नहीं)
13. बैंक का नाम जिसमें वेतन खाता खुला है
14. बैंक खाता संख्या
15. सामान्य भविष्य निधि/नए पेंशन स्कीम लेखा सं.
16. डीडीओ कोड
17. परिलब्धियां जिनका ट्रेजरी से सीधे भुगतान किया जाएगा
  - (क) मूल वेतन
  - (ख) वैयक्तिक/विशेष वेतन (यदि पेंशन प्रयोजनों के लिए गिना जाता है)
  - (ग) एन.पी.ए
  - (घ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन
  - (ङ) कुल वेतन (भत्तों सहित)

अनुबंध 12.16  
(पैरा 12.114)

## सड़कों और पुलों के रखरखाव/मरम्मत के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	217	234	253	277	981
2.	अरुणाचल प्रदेश	35	38	42	47	162
3.	असम	67	75	88	106	336
4.	बिहार	94	105	119	146	464
5.	छत्तीसगढ़	69	83	96	114	362
6.	गोआ	9	10	10	11	40
7.	गुजरात	287	304	324	346	1261
8.	हरियाणा	58	63	70	76	267
9.	हिमाचल प्रदेश	89	102	115	130	436
10.	जम्मू और कश्मीर	29	31	35	45	140
11.	झारखंड	75	79	84	96	334
12.	कर्नाटक	367	391	418	449	1625
13.	केरल	220	232	244	257	953
14.	मध्य प्रदेश	194	222	263	307	986
15.	महाराष्ट्र	470	504	545	584	2103
16.	मणिपुर	22	24	26	28	100
17.	मेघालय	23	24	26	28	101
18.	मिजोरम	19	21	23	26	89
19.	नागालैण्ड	34	38	42	45	159
20.	उड़ीसा	224	242	265	291	1022
21.	पंजाब	138	148	158	168	612
22.	राजस्थान	303	353	409	444	1509
23.	सिक्किम	14	15	18	21	68
24.	तमिलनाडु	428	453	478	506	1865
25.	त्रिपुरा	26	28	31	37	122
26.	उत्तर प्रदेश	630	674	732	795	2831
27.	उत्तराखंड	71	78	86	94	329
28.	पश्चिम बंगाल	147	160	175	191	673
	<b>जोड़</b>	<b>4359</b>	<b>4731</b>	<b>5175</b>	<b>5665</b>	<b>19930</b>

## सड़कों और पुल शीर्ष (मुख्य शीर्ष 3054) के अधीन योजना-भिन्न राजस्व व्यय का अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	1115.20	1170.96	1229.50	1290.98	1355.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.46	21.89	23.42	25.06	26.82
3.	असम	492.14	526.59	563.45	602.89	645.09
4.	बिहार	466.37	489.68	514.17	539.88	566.87
5.	छत्तीसगढ़	346.58	363.91	382.11	401.21	421.28
6.	गोआ	109.69	115.18	120.94	126.98	133.33
7.	गुजरात	557.52	585.39	614.66	645.39	677.66
8.	हरियाणा	416.00	436.80	458.64	481.57	505.65
9.	हिमाचल प्रदेश	590.11	619.62	650.60	683.13	717.28
10.	जम्मू और कश्मीर	48.81	52.23	55.89	59.80	63.98
11.	झारखंड	119.72	128.10	137.07	146.66	156.93
12.	कर्नाटक	303.70	318.89	334.83	351.57	369.15
13.	केरल	574.12	602.83	632.97	664.62	697.85
14.	मध्य प्रदेश	429.79	451.27	473.84	497.53	522.41
15.	महाराष्ट्र	1601.16	1681.22	1765.28	1853.54	1946.22
16.	मणिपुर	78.65	84.15	90.04	96.35	103.09
17.	मेघालय	73.85	79.02	84.55	90.47	96.80
18.	मिजोरम	32.56	34.84	37.28	39.89	42.68
19.	नागालैण्ड	53.94	57.72	61.76	66.08	70.71
20.	उड़ीसा	506.04	531.34	557.91	585.80	615.09
21.	पंजाब	135.63	142.41	149.53	157.01	164.86
22.	राजस्थान	231.47	243.05	255.20	267.96	281.36
23.	सिक्किम	28.60	30.60	32.75	35.04	37.49
24.	तमिलनाडु	605.04	635.29	667.06	700.41	735.43
25.	त्रिपुरा	90.95	97.32	104.13	111.42	119.22
26.	उत्तर प्रदेश	757.25	795.11	834.87	876.61	920.44
27.	उत्तराखंड	88.81	95.03	101.68	108.80	116.41
28.	पश्चिम बंगाल	241.67	253.75	266.44	279.76	293.75
	<b>जोड़</b>	<b>10115.83</b>	<b>10644.19</b>	<b>11200.55</b>	<b>11786.41</b>	<b>12403.38</b>

## जारी करने की पूर्वशर्त :

वर्ष	शर्त
2011-12	(क) 2011-12 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2010-11 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए।
2012-13	(क) 2012-13 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2011-12 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2010-11 (वास्तविक) निवल अनुदान 2010-11 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2013-14	(क) 2013-14 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2012-13 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2012-13 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2011-12 (वास्तविक) निवल अनुदान 2011-12 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।
2014-15	(क) 2014-15 (ब.अनु.) निवल अनुदान, 2014-15 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए। (ख) 2013-14 (सं.अनु.) निवल अनुदान 2013-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व से कम नहीं होने चाहिए। (ग) 2012-13 (वास्तविक) निवल अनुदान 2012-14 के अनुमानित योजना-भिन्न राजस्व व्यय से कम नहीं होने चाहिए।